

Form No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

रूपायन एसोसियट प्रा.लि. बनाम मनोज कुमार व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 55/वर्ष 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 08.03.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि 1228/404/0.0083 वाके ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर मौके पर निर्माण कार्य ना करें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

08/03/22 आज पत्रावली पेश हुई।...

उपस्थित पत्रावली मूल दावा के साथ दिनांक

23.1.22...

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

23/05/22

आज पत्रावली पेश की जा रही है...

...के साथ पेश किया गया है...

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

18/07/22

आज पत्रावली पेश की जा रही है...

...के साथ पेश किया गया है...

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)